न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–75/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/75)

1. अल्का जैन पत्नी मनोजकुमार जैन, जाति जैन निवासी 18 शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. मनोजकुमार पुत्र स्व0 मदनलाल जाति जैन निवासी 18 शास्त्रीनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

अपीलांट्स

बनाम

1. अमितकुमार पुत्र राजकुमार जाति जैन निवासी सदर बाजार, रूपनगढ तहसील रूपनगढ जिला अजमेर।

वादी/रेस्पोडेंटस

2. उप–पंजीयक रूपनगढ तहसील रूपनगढ जिला अजमेर।
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर।
4. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।

प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ जिला अजमेर, विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.03.2022 राजस्व वाद संख्या 92/2021

उपस्थितः–

1. श्री, मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02, 03
3. रेस्पोडेंट संख्या 01 व 04 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 29.11.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 92/2021 में पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट संख्या 01 ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के न्यायालय में विरूद्ध प्रतिवादी अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 2 लगायत 4 अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी अपीलांटस को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादी–अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के कथनों से इंकार कर कथन किया कि वादी रेस्पोडेंट संख्या 01 का वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया मेंटनेबल नहीं है, क्योंकि वादी ने एक अनरजिस्टर्ड समझौते के आधार पर रिकार्ड में दर्ज खातेदारों के विरूद्ध पाबंदी की इस्तदुआ चाही है जो किसी भी सूरत में धारा 212 के तहत प्रदान नहीं की जा सकती है। वादी–रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा न्यायालय के समक्ष वाद/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है, वे औद्योगिक प्रयोजनार्थ नमक उद्योग में प्रयुक्त भूमि बाबत प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त वाद में वर्णित समस्त भूमि औद्योगिक उपयोग में आ रही है ना कि कृषि कार्य में तथा सम्मिलित भूमि में से कुछ का तौ औद्योगिक संपरिवर्तन भी हो चुका है ऐसे स्थिति में न्यायालय उक्त वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पंत्र को सुनने में सक्षम नहीं होने के आधार पर प्रतिवादी–अपीलांटस द्वारा वाद पत्र में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 का प्रस्तुत किया हुआ है। जिससे की वादी रेस्पोडेंट को उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 में किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्ति का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय के आदेश दिनांक 28.1.2022 में दिए गए आब्जरवेशन पर बिना कोई विवेचन एवं विश्लेषण किए व बिना कोई निर्णय पारित किए अपने अवैधानिक निर्णय दिनांक 7.3.2022 में यह अंकित कर कि पारिवारिक इकरारनामें की कृषि/लवणीय उत्पादन की शर्तो की उभयपक्ष पालना करे। चूंकि प्रार्थी एवं उनकी माता के रूपए इस कार्य में प्रतिफल राशि के रूप में दिए गए है। अतः इकरारनामा की विधिक समाप्ति तक खातेदार खातेदारी अधिकारों के उपयोग को स्वतंत्र है लेकिन उभयपक्ष राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति परिवर्तित नहीं करे ताकि प्रार्थी की प्रतिफल राशि की क्षतिपूर्ति हो सके। यदि उभयपक्षों के बीच प्रतिफल राशि के लेन देन एवं अन्य बिंदु को लेकन विवाद होता है तो उभयपक्ष सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे का निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 92/2021 में पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 01 व 04 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.01.2022 में यह स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे औद्योगिक परिवर्तित भूमि के संबंध में एवं खरीदशुदा आराजी की जमाबंदी में अंकित रिकार्डेड खातेदार काश्तकार तथा अनस्टाम्प एवं अपंजीकृत दस्तावेज के संबंध में राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित बिंदुओं को मध्यनजर रखते हुए उनके समक्ष लंबित प्रार्थना पत्र धारा 212 का निस्तारण करे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिए गए आब्जरवेशन को नजरअंदाज कर निर्णय जेर अपील पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायालय के आदेश दिनांक 28.01.2022 के विरूद्ध आचरण कर पारित किया गया होने से निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 1 का वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया मेंटनेबल नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 01 को वाद/अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दायर करने की लोकस स्टेण्डाई तक नहीं है, क्यों कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने एक अनरजिस्टर्ड समझौते के आधार पर रिकार्ड में दर्ज रेकार्डेड खातेदारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। जो रेस्पोडेंट संख्या 1 को धारा 212 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई नहीं होने से किसी भी सूरत में धारा 212 के तहत प्रदान नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा जिस आपसी समझौता पत्र की बात वाद पत्र/अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में कही है वे रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बाहर के तृतीय पक्षकारों के मध्य बताया गया एवं राजस्व रिकार्ड में अपीलांटस का नाम रेकार्डेड खातेदारी से दर्ज है तो उक्त तथाकथित अपंजीकृत समझौते दिनांक 21.6.2006 को मानने के लिए अपीलांटस को किसी भी सूरत में बाध्य नहीं किया जा सकता है। उक्त भूमि अपीलांटस के हक व हिस्से की भूमि है। जिस पर खरीद की दिनांक से ही अपीलांटस काबिज चले आ रहे है तथा उक्त पर किए जा रहे समस्त व्यापार उद्योग एवं समस्त कार्य अपीलांटस की निगरानी में ही सम्पादित किए जा रहे है तथा रेस्पोडेंटस संख्या 01 उक्त भूमि में बतौर नौकर सेवक कार्य कर रहा है। सारी पूंजी मनोज कुमार जैन अपीलांट द्वारा लगाई गई हे। इसलिए मालिकाना हक सिर्फ उनका ही रहेगा। सार संभाल एवं देखरेख कर लेने से कोई मालिक नहीं बन जाता। खरीद के दिन से आज दिन तक मनोज कुमार जैन अपीलांट का कब्जा एवं आधिपत्य स्थापित है। मनोज कुमार जैन रेगुलरली मौके पर जायज लिया करते रहे है। रेस्पोडेंट संख्या 01 अमित कुमार केवल एक मुनीम थे जिसे मानदय के रूप में प्रोफिट में हिस्सा दिया जाता था। रेस्पोडेंट संख्या 01 केवल सार संभाल व देख रेख का कार्य करता था। विवादग्रस्त भूमि की देख रेख कर लेने से कोई मालिक नहीं बन जाता है। संबंधित भूमि की 07 रजिस्ट्री हुई सातों मनोजकुमार, अल्का जैन एवं भंवरीदेवी के नाम से है। रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा पूंजी लगाई होती तो वे उसकी रजिस्ट्री स्वयं के नाम अवश्य करवाते चूंकि सारी रकम पूंजी मनोज कुमार जैन द्वारा लगाई गई। इसलिए रजिस्ट्री भी उनके एवं उनके परिजनों के नाम हुई। ऐसी स्थिति में रेसपोडेंट संख्या 01 को तृतीय पक्षकार को न तो धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद लाने का अधिकार प्राप्त है न ही वाद के साथ धारा 212 का प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत करने का ही अधिकार है। ना ही राजस्व न्यायालय को वाद/अस्थाई निषेधाज्ञा का कानूनन श्रवणाधिकार हासिल है। ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद/अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कॉज ऑफ एक्शन रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत सिद्ध किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी बिंदुओं को इग्नोर कर निर्णय जेर अपील पारित करने में भारी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

तात्विक अनियमितता एवं तात्विक अवैधता बरती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 92/2021 में पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा पूर्व में लिखित बहस प्रस्तुत की गई थी। जिसका अवलोकन न्यायहित में किया गया। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट बरवक्त अंतिम बहस उपस्थित नहीं हुए किंतु उनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत लिखित बहस में अंकन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के पिता राजकुमार व अप्रार्थी संख्या 1 के ससुर व अप्रार्थी संख्या 2 के पिता स्वर्गीय मदनलाल रिश्ते में सगे साले व बहनोई है जिनके के बीच दिनांक 21.1.2006 को एक आपसी समझौता पत्र की एक तहरीर लिखी गई। जिसमें यह तय किया गया कि भूमि में आधा-आधा लाभ का हिस्सा दोनों पक्षों का रहेगा। इस व्यापार के लिए खरीद की जाने वाली लवणीय भूमि में दोनों का लाभ का हिस्सा बराबर रहेगा। वही इस खरीद की जाने वाली भूमि के लिए आपसी समझौता पत्र के पैरा संख्या 05 में स्पष्ट तौर पर अंकित किया गया था कि पूंजी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा संचालन के लिए इस आपसी समझौता पत्र में अमित कुमार पुत्र राजकुमार को नामित किया गया जो अपसी समझौता पत्र के पैरा संख्या 03 में स्पष्ट तौर पर अंकित किया गया इस भूमि से होने वाले व्यापार में कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। यानि कि प्रार्थी पूर्णकालिक रूप से इस व्यापार के लिए लवणीय भूमि में सदैव आधे लाभ के हिस्से का भागीदार रहेगा तथा इसका संपूर्ण संचालन प्रार्थी द्वारा पूर्णकालिक रूप से किया जाएगा जब प्रार्थी को नामित किया गया तो इस आपसी समझौता पत्र की पालना में व्यापार के लिए भूमि की तलाश की गई तथा तलाश के बाद भूमि की खरीद की गई तथा खरीद के दिन से लेकर आज तक करीब 15 वर्ष से वर्तमान में प्रार्थी के कब्जे व आधिपत्य में ही उक्त लवणीय भूमि हैं। जिसकी प्रार्थी द्वारा ही देख रेख व सार संभाल का कार्य वर्ष 2006 से किया जा रहा है। यह लवणीय भूमि ग्राम आउ पटवार क्षेत्र झाग भू-निरीक्षक क्षेत्र कोटडी तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में अवस्थित है। लवणीय भूमि प्रार्थी के कब्जे व आधिपत्य में खरीद के दिन से आज तक यानि की करीब 15 वर्षो से चल आ रही है तथा वर्तमान में प्रार्थी के कब्जे व आधिपत्य में स्थित हैं जिसकी समस्त सार संभाल तथा देखरेख खरीद दिनांक 22.7.2006 व 23.7.2006 से लेकर अब तक प्रार्थी के द्वारा समस्त कार्य संपादित किए जा रहे है। जिसका उल्लेख मेमोरडम ऑफ अण्डरस्टेडिंग जो दिनांक 21.1.2006 को स्वर्गीय मदनलाल जो कि रिश्ते में अप्रार्थी संख्या 2 के पिता व अप्रार्थी संख्या 1 के ससुर है तथा प्रार्थी के पिता राजकुमार के मध्य में लिखा गया है जो रिश्ते में सगे साले बहनोई है। जिसके बाद प्रार्थी में उक्त लवणीय भूमि खरीद करने के लिए विक्रय पत्र निष्पादन से तीन दिन पहले 10 लाख रूपए की राशि दा बैक ऑफ राजस्थान लिमिटेड मदनगल-किशनगढ वर्तमान बैंक आईसीआईसीआई बैंक शाखाँ मदनगज-किशनगढ के खाते से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या -2 व उनके परिजनों को स्थानांतरित की गई व इसी समयावधि के दौरान

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी की माताजी के बैंक आफ बडौदा शाखा रूपनगढ के बचत खाता से 4 लाख रूपए अप्रार्थी संख्या 2 व उसके परिजनों के खाते में स्थानांतरण किए गए। उक्त लवणीय भूमि के विकय पत्र के लिए। तब प्रार्थी व प्रार्थी के पिताजी के उक्त भूमि के विकय पत्र उनके नाम करवाने के लिए भी कहा। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 21.01.2006 के आपसी समझौता पत्र का हवाला देते हुए कहा कि यह समझौता पत्र में पहले से ही आप का हिस्से के बारे लिख दिया है। जिसुके कारण प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 की बात मानकार उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन अब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपनी बात से मुकरते हुए उस आपसी समझौता पत्र को नही मान रहे है तथा जबरन रूप से प्रार्थी को उक्त लवणीय भूमि से जबरन रूप से बेदखल करने का प्रयास कर उसको उक्त लवणीय भूमि का सार संभाल व देख रेख के कार्य में रोका टोकी कर बाधा कारित करने का प्रयास कर रहे है। जबकि विकय पत्रों में दर्ज राशि का भुगतान प्रार्थी व प्रार्थीके परिजनों द्वारा खातों के माध्यम से स्थानांतरित की गई है। वही इसके संबंध मे संपूर्ण देखरेख व सार संभाल के द्वारा अधिकार प्रलेख भी दिनांक 5.6. 2008 को दिया हुआ है जो नोटरी से तस्दीकशुदा हैं लेकिन फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा बार बार प्रार्थी को लवणीय भूमि की देखरेख व सार संभाल में बाधा कारित कर उसको बार बार हैरान परेशान कर रहे है तथा प्रार्थी आपसी समझौता पत्र के तहत प्राप्त अधिकार व मिली लाभ की हिस्सेदारी से बेदखल करने का प्रयास कर रहे है। जिसके कारण यह अस्थाई निषेधाज्ञा का राजस्व प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 उक्त प्रकरण में फोर्मल पक्षकार है। हाजा न्यायालय द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के निर्णय से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

7. हमनें अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट द्वारा पूर्व में दी गई लिखित बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी से स्पष्ट है कि विवादित खसरा नम्बर 404, 405, 406 अपीलांट नम्बर 2 तथा खसरा नम्बर 407, 796/402, 401 अपीलांट संख्या 1 के नाम दर्ज है। दिनांक 29.9.2006 के पट्टा विलेख प्रार्थीया के ही नाम दर्ज है व गवाह के तौर पर वर्तमान रेस्पोडेंट के हस्ताक्षर है। पट्टा विलेख दिनांक 29.9.2006 जो की श्रीमती भंवरी देवी पत्नि श्री मदनलाल जैन के नाम दर्ज है जिसमें भी गवाह के तौर पर वर्तमान रेस्पोडेंट अमित कुमार जैन के हस्ताक्षर है। लिज डीड दिनांक 25.04.2014 के अनुसार भी अपीलांट संख्या 1 के नाम रजिस्टर्ड है जिसमें भी रेस्पोडेंट अमित कुमार के हस्ताक्षर गवाह के रूप में है। लिज डीड दिनांक 12.9.2019 के अनुसार यह डीड अपीलांट संख्या 01 के नाम रजिस्टर्ड है जिसमें भी वर्तमान रेस्पोडेंट अमित कुमार जैन के हस्ताक्षर बतौर गवाह के रूप में दर्ज हैं। ग्राम आउ तहसील किशनगढ में स्थित खसरा नम्बर 407/1 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा प्रार्थीय अल्का जैन ने पुरूषोत्तम बेडिया को प्रतिफल राशि अदा कर दिनांक 22.7.2006 को क्रय किया गया। किशनगढ में स्थित खसरा नम्बर 401 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

किस्म बंजर प्रथम व खसरा नम्बर 402/2 व खसरा नम्बर 196/3 प्रार्थीया अल्का जैन ने श्रवण कुमार बेडिया को प्रतिफल अदा कर दिनांक 22.7.2006 को क्रय किया गया। खसरा नम्बर 402/1/1 रकबा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 386/1 रकबा 6–10–00 में से 4 बीघा नमक उत्पादित भूमि का बैचान दिनांक 22.7.2006 को निर्मल कुमार द्वारा श्रीमती भंवरी देवी जैन पत्नी श्री मदनलाल जैन को प्रतिफल राशि प्रदान कर किया गया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 402/4 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा किस्म बंजर प्रथम 10 बिस्वा बारानी द्वितीय 4 बीघा 15 बिस्वा दिनांक 22.7.2006 को प्रार्थीया द्वारा श्री रामप्रताप से क्रय किया गया। खसरा नम्बर 405/1, 406, 404 कुल किता तीन कुल रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा दिनांक 22.7.2006 को मनोज कुमार द्वारा पुरूषोत्तम से क्रय किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि संबंधित भूमियों की रजिस्ट्रीयां मनोजकुमार, अल्का जैन व भंवरीदेवी के नाम है। वादग्रस्त भूमियों पर मालीकाना हक अपीलांट्स का ही है। उक्त तथाकथित अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट्स को उनके हक हिस्से की आराजी से वंचित नहीं किया जा सकता जिन्हें उन्होंने प्रतिफल अदाकर रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर क्रय की है। उक्त भूमि अपीलांट्स के हक व हिस्से की भूमि है। उक्त भूमि पर किए जा रहे समस्त व्यापार उद्योग अपीलांट्स की निगरानी में ही संपादित किए जा रहे है। रेस्पोडेंट संख्या 01 को अपीलांट्स द्वारा सार संभाल हेतु आपसी समझौते के आधार पर केवल निरीक्षक के तौर पर उद्योग कार्य के संचालन हेतु दायित्व दिया गया था। चूंकि यह उक्त भूमि से संबंधित भू स्वामी पर निर्भर करता है कि वह कभी भी आपको अपने दायित्वों के निर्वहन से मुक्त कर सकता है। चूंकि दिनांक 21.1.2006 के अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर एक रजिस्टर्ड भू स्वामी को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। क्यों कि उक्त अनरजिस्टर्ड दस्जावेज (इकरारनामा) पर लिखी किसी भी बात, नियम व शर्तों को पूरा करने के लिए उभयपक्षकरान बाधित नहीं है।

इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे (13)2006 पेज 773 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि ***"RAJASTHAN TENANCY ACT,1955- Section 212- Temporary injunction cannot be granted against recorded khatedar on the basis of un-registered document."***

उक्त दस्तावेजात की प्रमाणिकता राजस्व न्यायालयों में शून्य है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है व राजस्थान काश्तकरी अधिनियम 1955 के अनुसार एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध बिना किसी कारण के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनों मूलभूत बिंदु यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलांट्स के पक्ष में पूर्णतया सिद्ध होते है। अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना विधि विरूद्ध एवं न्याय की मंशा के विपरीत है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

8. अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 92/2021 में पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

आदेश दिनांक 07.03.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

29/11/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner